

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,  
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-59/2015/18-5  
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2015

- |  |   |
|--|---|
| 1. कलेक्टर,<br>जिला बुरहानपुर                        | 2. उप संचालक<br>नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,<br>खण्डवा । |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,<br>जिला पंचायत बुरहानपुर | 4. आयुक्त<br>नगर निगम बुरहानपुर ।                         |

विषय :- बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकलन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।  
संलग्न :- यथोपरि

1151/TC  
20/11/15

1729  
20/11/15  
T.C.  
DL

पृ0क0-एफ 3-59/2015/18-5  
प्रतिलिपि :-

See/pt.  
( सुप्रिया पेंडके )  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
भोपाल दिनांक / /2015

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकलन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

19/11

20.11.15

Dman(S)

कृपया website पर  
प्रकाशन तत्काल करें।

See/pt.  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 16-11-2015  
क्रमांक-एफ-3-59/2015/18-5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973  
( क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा  
सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में  
यथानिर्दिष्ट बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र0	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम मोहम्मदपुरा	469, 470, 471, 472, 473, 474, 488 / 3,	5.01 हेक्टेयर	कृषि	औद्योगिक (स्पिनिंग मिल के निर्माण)  शर्तें:-  1. आवेदक का आर ई एस के मापदण्डों के अनुसार 1.5 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण स्वयं के व्यय से करना होगा।  2. विकास अनुमति प्राप्त करते समय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।  3/33 केव्ही हाईटेशन विद्युत


*(Handwritten signature)*

					लाईन हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 अनुसार भूमि रिक्त छोड़ना अनिवार्य होगा ।
		योग-	5.01 हेक्टेयर		


प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा तथा [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

  
(एस के मुद्गल)  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
16/11/2015



7

**Government of Madhya Pradesh**  
**Urban Development And Environment Department**  
**MANTRALAYA**

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 16-11-15

No. F-3-59/15/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (b) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Burhanpur Development Plan 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-


**SCHEDULE**

No.	Village	Khasara No.	Area (in hec)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Mohamadpur	469, 470, 471, 472, 473, 474, 488/3	5.01 hec.	Agriculture	Industrial (Construction of Spinning Mill) <u>Conditions :-</u> 1. Applicant shall construct 1.5 Km long and 12 Mts wide road as per R.E.S. specifications to land in question on his own expenses. 2. Applicant shall obtain necessary permission from MP Pollution Control Board. 3. The minimum distance below 33 K.V.H.T. electric line shall be left vacant as per MP Bhumi Vikas Niyam 2012.
		<b>Total</b>	5.01 hec.		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Burhanpur as well as on the web site. **www.mptownplan.nic.in** for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary,

Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh,



**(S.K.Mudgal)**

**Deputy Secretary**

Government of Madhya Pradesh  
Urban Development And  
Environment Department